मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र6623/Tech./QC/T-4/M-02/13 भोपाल, दिनांक 18/04/2013

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
जिला ————————(म.प्र.)

विषयः–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण कार्यों में खनिज साम्रगी के उत्खनन स्वीकृति विषयक।

संदर्भः–1.मुख्यालय का पत्र क्र0 5660/22/वि–12/Tech/QCT-4/CGM-1/P-1/12 भोपाल दिनांक 30.03.2013
2.मुख्यालय का पत्र क्र0 5931/22/वि–12/Tech/QCT-4/CGM-1/P-1/12 भोपाल दिनांक 04.04.2013

——0——

संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें प्रधानमंत्री /मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में खनिज साम्रगी के उत्खनन की अनुमति के संबंध में खनिज साधन विभाग म.प्र. शासन द्वारा म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 में किये गये संशोधनो का उल्लेख किया गया था। विस्तृत नियम एवं संशोधन के लिये कृपया खनिज विभाग की बेबसाईट mpsc.mp.nic.in/e_khanij के लिंक Orders & Circulars को देखे। सुविधा की दृष्टि से संशोधनों के मुख्य बिन्दुओं का विवरण संलग्न है।

तदानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं निर्माण कार्यों को द्रुतगति से संपादित करावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(अलका उपाध्याय)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

पृक्र. 6624 /Tech./QC/T-4/M-02/13 भोपाल, दिनांक 18/04/2013

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख अभियंता, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य महाप्रबंधक,(समस्त) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

Mining Lt.

मुख्य प्रावधानों का विवरण

विषयः– मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों हेतु प्रयुक्त गौण खनिजों के उत्खनन विषयक।

खनिज साधन विभाग म.प्र. शासन द्वारा म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन किये गये हैं जो म.प्र. शासन के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23 मार्च 2013 में प्रकाशित है। विस्तृत नियम एवं संशोधन खनिज विभाग की website mpsc.mp.nic.in/ e_khanij पर उपलब्ध है।

सडक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों के उत्खनन अनुमति संबंधित प्रावधान संक्षेप में निम्नानुसार है :–

1. अनुसूची –2 के अनुक्रमांक 1 (साधारण रेत, बजरी); 3 (पत्थर, बोल्डर, रोड मेटल, गिटटी, ढोका, खण्डा, परिष्कृत पत्थर, रबल,चिप्स) में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों की खदानों का आवंटन केवल नीलामी द्वारा किया जायेगा। **(नियम–7 उपनियम 1,2,4)।**

2. अनुसूची एक के अन्तर्गत अनुक्रमांक 6 (यांत्रिक क्रिया द्वारा गिट्टी बनाने के लिए पत्थर) में विनिर्दिष्ट खनिज (अर्थात् क्रशर के उपयोग हेतु) एवं अनुसूची दो के अनुक्रमांक 4 (मुरूम), 6 (ग्रेवल), 11 (क्वार्टजाइट तथा क्वार्टजिटिक सेन्ड जब भवन अथवा रोड मेटल या घरेलू बर्तन बनाने के लिये उपयोग किया जावे) मे विनिर्दिष्ट खनिजों के उत्खनन पटटा प्रदान करने की शक्ति आवेदित पटटे के क्षेत्रफल के अनुसार संचालक/कलेक्टर/प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा में निहित की गयी है। **(नियम 6 – सारणी)।**

3. उत्खनन पट्टा प्रदान करने हेतु आवेदन खनिज अधिकारी या सहायक खनिज अधिकारी को प्रारूप 1 में तीन प्रतियों में किया जायेगा **(नियम 9 एवं 11)**

4. किसी भी गौण खनिज के उत्खनन पट्टे की स्वीकृति या उसका नवीकरण और व्यापारिक खदान की मंजूरी तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि गौण खनिज के विकास के लिए संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा ऐसी खनन योजना को सम्यक् रूप से अनुमोदित न कर दिया गया हो। **(नियम 42 – (क))।**

5. कोई खनन योजना /स्कीम तक तक अनुमोदित नही की जाएगी जब तक की वह संचालक द्वारा मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति द्वारा तैयार नहीं की जाती । **(नियम 42 – (ख))।**

6. उत्खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, विनिश्चित क्षेत्र स्वीकृति का विनिश्चिय/व्यापारिक खदान के ठेके के अनुमोदन की संसूचना, मंजूरी प्राधिकारी,आवेदक/सफल बोलीदार को देगा, मंजूरी प्राधिकारी से स्वीकृत किये जाने वाले विनिश्चित क्षेत्र की संसूचना प्राप्त होने पर संसूचना प्राप्त होने के दिनांक से आवेदक/ सफल बोलीदार द्वारा तीन माह की अवधि के भीतर अथवा ऐसी अन्य अवधि जैसी की मंजूरी प्राधिकारी अनुज्ञात करे, अनुमोदन हेतु खनन योजना प्रस्तुत करेगा। **(नियम 42 (ग))।**

7. मंजूरी प्राधिकारी द्वारा आवेदक को सैद्वांतिक मंजूरी की सूचना दी जाएगी तथा आवेदक ऐसी सूचना के छह माह के भीतर अनुमोदित खनन योजना/अनुमोदित पर्यावरण प्रबंध योजना प्रस्तुत करेगा। समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण हो जाने के पश्चात मंजूरी प्राधिकारी उत्खनन पटटा प्रदान किए जाने अथवा उसका नवीकरण किए जाने का आदेश जारी करेगा। (नियम 18 उपनियम (2)) ।

8. किसी मान्यता प्राप्त व्यक्ति द्वारा तैयार पर्यावरण प्रबंध योजना (नियम 48) को जिला स्तरीय पर्यावरणीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। **सरकारी निर्माण कार्य के लिये उत्खनन अनुज्ञा के प्रकरणों का पन्द्रह दिन के भीतर निपटरा किया जाएगा। (नियम 49 (3))।**

9. उपर 1 एवं 2 में उल्लेखित खनिजों के उत्खनन पटटे के आवेदनों का निपटारा, संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर खनिज की उपलब्धता, मात्रा तथा उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा (अध्याय 3 क (झ))

10. उत्खनन पट्टे की कालावधि अधिकतम 10 वर्ष एवं न्यूनतम 5 वर्ष होगी (नियम 22)

सरकारी कार्यों हेतु विशेष प्रावधान

11. प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा किसी विनिर्दिष्ट खदान या भूमि से कोई गौण खनिज, जिनकी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम के कार्यों के लिये आवश्यकता हो, उत्खनन करने, हटाने तथा परिवहन करने की अनुमति दे सकेंगे। ऐसी अनुज्ञा या तो संबंधित विभागीय प्राधिकरणों को या उसके द्वारा प्राधिकृत ठेकेदार को ठेका दिये जाने बाबत् सबूत देने पर दी जाएगी।

परन्तु आवेदक को अनुज्ञा की सैद्वान्तिक मंजूरी की सूचना दी जाएगी। ऐसी सूचना की प्राप्ति के तारीख से अधिकतम एक मास के भीतर जिला स्तरीय पर्यावरणीय समिति से अनुमति लेकर प्रस्तुत करेगा। (नियम 68)।

परन्तु यह और कि यदि सैद्वान्तिक मंजूरी पांच हेक्टर या अधिक क्षेत्र के लिए है तो आवेदक ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से छह माह के भीतर पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अन्तर्गत प्राप्त पर्यावरण अनुज्ञा प्रस्तुत करेगा। मंजूरी प्राधिकारी, समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण हो जाने के पश्चात् उत्खनन अनुज्ञा की मंजूरी का आदेश जारी करेगा। मंजूरी प्राधिकारी, समाधानप्रद कारणों के आधार पर यदि समस्त औपचारिकताएं विहित समयावधि में पूरी न की जा सकी हों तो समयावधि बढ़ाने की अनुज्ञा दे सकेगा :

परन्तु यह भी कि उत्खनन अनुज्ञाधारी/ठेकेदार जो निर्माण कार्य में लगे हो, निर्माण कार्य में उपयोग में लाए गए खनिज उत्खनन अनुज्ञा क्षेत्र से निकाले गये खनिज अथवा खुले बाजार से क्रय किए जाकर उपयोग में लाए गए खनिज के लिए रायल्टी के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए नो माइनिंग ड्यूज अभिप्राप्त

करेंगे। नो माइनिंग ड्यूज प्रमाण–पत्र, खनिज अधिकारी/प्रभारी अधिकारी खनन शाखा द्वारा निर्माण कार्य में लगे हुए ठेकेदार/उत्खनन अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करने के पश्चात् जारी किया जाएगा। "

12. ऊपर बिन्दु क्रमांक 11 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अथवा किसी अन्य सरकारी विभाग के अधीन निर्माणाधीन या निर्मित की जाने वाली सड़कों की दशा में, मुरम की अनुज्ञा मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक द्वारा या संबंधित सरकारी विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा प्राधिकृत ठेकेदारों को दी जाएगी और ऐसी अनुज्ञा जारी की जाने की पूर्व उनके द्वारा खनिज, राजस्व तथा वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जाना होगी और जारी की गई अनुज्ञा की प्रति इन विभागों को पृष्ठांकित की जाएगी तथा संबंधित मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक अथवा संबंधित सरकारी विभाग के कार्यपालन यंत्री, कलेक्टर कार्यालय से अभिवहन पास अग्रिम में प्राप्त करेंगे और ठेकेदारों को अभिवहन पास जारी करेगा तथा संबंधित कलेक्टर को प्रत्येक तीन मास से उत्खनित गौण खनिज की मात्रा से अवगत कराएगा। उत्खनित की गई गौण खनिज की मात्रा के आधार पर रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित करेगा तथा रायल्टी की रकम प्रत्येक वर्ष 30 जून, 30 सितम्बर,31 दिसम्बर तथा 31 मार्च को नियम 10 के उपनियम (2) में विहित " आगम प्राप्ति शीर्ष " में महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा संबंधित सरकारी विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा जमा की जाएगी।"

####

सड़क निर्माण कार्यों में प्रयुक्त मिट्टी पर रायल्टी का निर्धारण

मुरम एवं सिलेक्टेट स्वाईल को भौतिक रूप से अन्तर का निर्णय किये जाने में उत्पन्न हो रही कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि ऐसी मिट्टी जिसकी सी.बी.आर (CBR) Value – बारह(12) या इससे अधिक है, को मुरम के रूप में वर्गीकृत करते हुए रायल्टी की वसूली मुरम खनिज पर देय रायल्टी की दर से की जाए। (म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल का ज्ञापन क्रमांक एफ–19–39/2002/12/1 दिनांक 09–07–2009)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड–II, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्रमांक 8708/22/वि–12/म.प्र.ग्रा.स.प्रा./SD/09 भोपाल, दिनांक 21/07/2009

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ...
जिला – ....

विषयः– सड़क निर्माण/मरम्मत में प्रयुक्त मिट्टी पर रायल्टी के निर्धारण के संबंध में।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग का पत्र क्रमांक एफ–19–39/2002/12/1 भोपाल दिनांक 09.07.2009।

मुरूम एवं सिलेक्टेड स्वाइल में भौतिक रूप से अन्तर किये जाने में उत्पन्न हो रही कठनाई को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसी मिट्टी जिसकी, सी.बी.आर.(C.B.R.) वेल्यू–12 (बारह) या इससे अधिक है को मुरूम के रूप में वर्गीकृत करते हुए रायल्टी की वसूली मुरूम खनिज पर देय रायल्टी की दर से की जाएगी। तत्संबंधी शासन के उपरोक्त संदर्भित मूल आदेश की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(शैलेन्द्र सिंह)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

पृ.क्रमांक 8709/22/वि–12/म.प्र.ग्रा.स.प्रा./SD/09 भोपाल, दिनांक 21/07/2009

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य महाप्रबंधक भोपाल, इंदौर, जबलपुर की ओर सूचनार्थ। (संलग्न उपरोक्तानुसार)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 19–39/2002/12/1. भोपाल, दिनांक 9-7-09

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
जिला–
मध्यप्रदेश

विषयः– सड़क निर्माण/मरम्मत में प्रयुक्त मिट्टी पर रायल्टी के निर्धारण के संबंध में ।

विभागीय समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 22–10–03 व्दारा सड़क निर्माण/मरम्मत निर्माण कार्य में प्रयुक्त सिलेक्टेड स्वाइल पर रायल्टी की वसूली मुरम खनिज पर देय रायल्टी की दर के अनुरूप किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इसे पूर्ण विचारोपरान्त निरस्त किया जाता है।

म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 29 में निहित प्रावधान के अंतर्गत राज्य शासन व्दारा मुरम खनिज हेतु रायल्टी की दर का निर्धारण कर अधिसूचित की गई है। म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम–2 में मुरम खनिज को परिभाषित नही किया गया है । फलस्वरूप मुरम एवं सिलेक्टेड स्वाइल को भौतिक रूप से अन्तर का निर्णय किये जाने में उत्पन्न हो रही कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन व्दारा निर्णय लिया जाता है कि ऐसी मिट्टी जिसकी, सी.बी.आर. (C.B.R.) वेल्यू– 12 (बारह) या इससे अधिक है, को मुरम के रूप में वर्गीकृत करते हुए रायल्टी की वसूली मुरम खनिज पर देय रायल्टी की दर से की जाए ।

(एस.के. मिश्रा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

(2)

पृ0 क्रमांक एफ 19–39/2002/12/1 भोपाल, दिनांक 9-7-09

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।

2– प्रमुख सचिव,म0प्र0 शासन, ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।

3– प्रमुख सचिव,म0प्र0 शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल।

4– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन (खण्ड–2) पंचम तल भोपाल।

5– प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास कारपोरेशन लि0, 16 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र.5931/Tech./QC/T-4/M-02/13 भोपाल, दिनांक 04/04/2013

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
जिला ————(म.प्र.)

विषयः–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण कार्यों में खनिज सामग्री के उत्खनन स्वीकृति विषयक।

संदर्भः– मुख्यालय का पत्र क्र0 5660/22/वि–12/Tech/QCT-4/CGM-1/P-1/12 भोपाल दिनांक 30.03.2013

––0––

प्रधानमंत्री /मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण कार्यों में खनिज सामग्री के उत्खनन की अनुमति के संबंध में खनिज साधन विभाग म.प्र. शासन द्वारा म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 में संशोधन किये गये हैं जो म.प्र. शासन के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23 मार्च 2013 को प्रकाशित किये गये हैं। उक्त संशोधन के अनुसार खनिज उत्खनन के प्रकरणों की अनुमति जिला स्तर पर जिला स्तरीय पर्यावरणीय समिति द्वारा दी जा सकेगी। विस्तृत संशोधन नियम खनिज विभाग की वेबसाईट mpsc.mp.nic.in/e_khanij पर उपलब्ध है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय अनुमति हेतु (SEIAA) को प्रस्तुत किये गये प्रकरण वापस लेते हुए जिला स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(अनिरूद्ध द्र. कपाले)
मुख्य महाप्रबंधक–I
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
मुख्यालय भोपाल

2_ /Tech./QC/T-4/M-02/13 भोपाल, दिनांक 04/04/2013

प्रतिलिपि महाप्रबंधक,(समस्त) म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ।

मुख्य महाप्रबंधक–I
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
मुख्यालय भोपाल

प्रति
1.
2.

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. 5660 /22/वि–12/Tech/QC/T-4/CGM-I/P-1 /12 भोपाल, दिनांक 30/03/2013

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
.....म.प्र.।

विषय :– निविदा आमंत्रित किए गए एवं आगामी चरणों में प्रस्तावित कार्यो के लिए खनिज, वन एवं अन्य अनुमतियों विषयार्थ।

संदर्भ :– कार्यालयीन पूर्ववर्ती पत्र क्र. 5831 दिनांक 26.04.12 एवं पत्र क्र. 6669 दिनांक 11.05.12 एवं पत्र क्र. 10383 दिनांक 25.07.2012 एवं पत्र क्र. 13844 दिनांक 29.09.2012

....0....

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्यो में सुगमता की दृष्टि से विभिन्न विभागों से आवश्यक अनुमतियॉ पूर्व से ही प्राप्त करने के लिए समय–समय पर जारी निर्देशों का कृपया पुनः अवलोकन करें। योजना के बारहवें चरण बैच–1 एवं बैच–2 के क्रमशः 1722 किमी लम्बाई के 421 मार्गो एवं 3154 किमी के 811 मार्गो की स्वीकृति भारत शासन से प्राप्त हो चुकी है, तथा निविदाऐं आमंत्रित कर कार्य प्रगतिरत है। इन सभी मार्गो के लिए आपके द्वारा खनिज विभाग, वन विभाग एवं भूमि उपलब्धता संबंधित समस्त कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी होगी, ऐसी अपेक्षा है।

इसी प्रकार बारहवें चरण के बैच –3 पार्ट–1 के 2094 किमी के 710 मार्गो की निविदाऐ आमंत्रित की गई है। एवं पार्ट–2 के 2402 किमी के 758 मार्गो की स्वीकृति भारत शासन से प्राप्त हो चुकी हैं। अतः आपकों निर्देशित किया जाता है कि बारहवें चरण के बैच –3 के अंतर्गत स्वीकृत सभी मार्गो के संबंध में वन भूमि/खनिज अनुमति एवं भूमि उपलब्धता आदि के प्रकरणों का निष्पादन एक माह के अंदर किया जाना सुनिश्चित करें। जिससे मार्ग निर्माण प्रारम्भ होते समय निर्माण कार्य किसी भी विभाग की अनुमति अथवा विवाद के कारण वाधित ना हो।

मुख्य महाप्रबंधक – I
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

पृ.क्र.5661 /22/वि–12/Tech/QC/T-4/CGM-I/P-1 /12 भोपाल, दिनांक 30/03/2013

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियन्ता, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल, म.प्र.।
2. मुख्य महाप्रबंधक III,IV, भोपाल, इंदौर, जबलपुर,रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक – I
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल
भोपाल